No. DGE-A-12018/1/2020-EE-II-Part(2)
Government of India
Ministry of Labour & Employment
Diretorate General of Employment
****

Shram Shakti Bhawan
New Delhi-110001,
Dated: - 12th December, 2023

To

Dr. Shailja Singh,
The Joint Director (E), DGE

Subject:- Recruitment Rules for Group 'B' posts in all National Career Service Centers for Differently abled under Directorate General of Employment, M/o Labour & Employment -reg

Madam,

Please find attached the revised Recruitment Rules for the following Group 'B' posts in all National Career Service Centers for Differently abled under Directorate General of Employment, M/o Labour & Employment:

S. No.	Name of Post
1	Rehabilitation Officer, Group-B, Gazetted
2	Rehabilitation Counsellor, Group-B, Non-Gazetted
3	Assistant (Store), Group-B, Non-Gazetted

2. In this regard, you are requested to upload the said Recruitment Rules on DGE website.

Yours faithfully,

(M. K. Singh)
Section Officer

Encl.: as above

Commission – Member; and 3. Additional Secretary or Joint Secretary, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation – Member. Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Member, Central Water Commission – Chairman; 2. Chief Engineer, Central Water Commission – Member; and 3. Director or Deputy Secretary, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation – Member.	

[F. No. A-12018/18/2017-E-I]

ANIL KUMAR SHARMA, Under Secy.

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

(रोजगार महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 2023

सा.का.नि.175.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और

(i) व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र (समूह 'ख', राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1996 जहाँ तक उनका संबंध पुनर्वास अधिकारी के पद से है;

(ii) व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र (समूह 'ख', अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1996 जहाँ तक उनका संबंध पुनर्वास परामर्शदाता के पद से है;

(iii) व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1980 जहाँ तक उनका संबंध सहायक (भंडार) के पद से है;

को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, रोजगार महानिदेशालय में दिव्यंगों हेतु नैशनल कैरियर सर्विस सेंटर के कार्यालय (पूर्ववर्ती व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र) में पुनर्वास अधिकारी, पुनर्वास परामर्शदाता और सहायक (भंडार) के समूह 'ख' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिव्यंगों हेतु नैशनल कैरियर सर्विस सेंटर (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2023 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना - ये नियम इन नियमो से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर – उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि – भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता – वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडें वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन पद अथवा अचयन पद**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1. पुनर्वास अधिकारी	18* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, अननुसचिवीय, राजपत्रित समूह 'ख'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 7 (44,900 - 1,42,400 रू.)	चयन पद	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किये गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवको के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।)

					टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाये।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पध्दति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पध्दतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य या समाजशास्त्र या शिक्षा या मनोविज्ञान या दिव्यांगता अध्ययन में स्नातकोत्तर डिग्री। (ii) दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास या प्लेसमेंट या मूल्यांकन या प्रशिक्षण से संबंधित कार्य में तीन साल का अनुभव। **<u>टिप्पण 1</u>:** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, ऐसे कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, शिथिल की जा सकती हैं। **<u>टिप्पण 2:</u>** अनुभव संबंधी अर्हता/ अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, ऐसे कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	नहीं।	2 वर्ष।	20% सीधी भर्ती द्वारा। 80% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसमे अल्पकालिक संविदा भी है।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(11)	**(12)**	**(13)**
प्रोन्नति:- वेतन मैट्रिक्स के स्तर – 5 (29,200 – 92,300 रू.) में के ऐसे रोजगार सहायक जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दिव्यंगों हेतु किसी नैशनल कैरियर सर्विस सेंटर में ग्यारह वर्ष की नियमित सेवा की हो और राष्ट्रीय रोजगार सेवा संस्थान, नोएडा, रोजगार महानिदेशालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान से पुनर्वास अधिकारी के प्रोन्नत पद के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से संबंधित क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। **<u>टिप्पण:</u>** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या 2 वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले की पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (जिसमे अल्पकालिक संविदा भी है):** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रो अथवा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा कानूनी या स्वशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी :- (क) (i)जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400 – 1,12,400 रू.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 5 वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव हो। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं,	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति : (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. निदेशक (रोजगार) - अध्यक्ष 2. उप सचिव (प्रशासन) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय - सदस्य 3. उप सचिव (रोजगार महानिदेशालय) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय - सदस्य 4. संयुक्त निदेशक (रोजगार) - सदस्य समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. निदेशक (रोजगार) - अध्यक्ष 2. उप सचिव (प्रशासन) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय - सदस्य 3. उप सचिव (रोजगार महानिदेशालय) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय - सदस्य 4. संयुक्त निदेशक (रोजगार) - सदस्य	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनयुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति (जिसमे अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसमे अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति (जिसमे अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।		

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन पद अथवा अचयन पद**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
2. पुनर्वास परामर्शदाता	13* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, अननुसचिवीय, अराजपत्रित समूह 'ख'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 6 (35,400 - 1,12,400 रू.)	लागू नहीं होता ।	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किये गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवको के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) **टिप्पण 1:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाये ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	**भर्ती की पध्दति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पध्दतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
आवश्यक : (i) किसी मान्यता प्राप्त	लागू नहीं होता।	दो वर्ष । **टिप्पण:** केंद्रीय सरकार द्वारा	100% सीधी भर्ती द्वारा । **टिप्पण :** पदधारी के प्रतिनियुक्ति

विश्वविद्यालय या संस्थान से मनोविज्ञान या विशेष शिक्षा में मास्टर्स डिग्री। (ii) निम्नलिखित में दो वर्ष का अनुभव 1. सामाजिक कार्य या व्यावसायिक प्रशिक्षण, 2. रोजगार सेवा या कैरियर परामर्श या रोजगार परामर्श, 3. मनोवैज्ञानिक तकनीक का उपयोजन, 4. पुनर्वास और सामुदायिक सेवा, 5. व्यावसायिक प्रशिक्षण **टिप्पण 1:** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, ऐसे कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हता/अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, ऐसे कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।		यथाविहित परिवीक्षा के सफलतापूर्वक पूरा किये जाने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण होगा।	या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी :- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29,200 -92,300) में नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित की गई अर्हताएं और अनुभव रखता हो।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

	लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. निदेशक (रोजगार) या संयुक्त निदेशक (रोजगार) - अध्यक्ष 2. उप या सहायक निदेशक (रोजगार), डीजीई के अधीन दिव्यंगों हेतु नैशनल कैरियर सर्विस सेंटर - सदस्य 3. पुनर्वास अधिकारी या मनोवैज्ञानिक, डीजीई के अधीन दिव्यंगों हेतु नैशनल कैरियर सर्विस सेंटर- सदस्य 4. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक राजपत्रित अधिकारी - सदस्य	

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन पद अथवा अचयन पद**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. सहायक (भंडार)	3* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, अननुसचिवीय, अराजपत्रित समूह 'ख'	स्तर – 6 (वेतन मैट्रिक्स में 35,400 - 1,12,400 रू.)	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किये गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवको के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाये।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पध्दति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पध्दतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक :	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति जिसमे अल्पकालिक संविदा भी

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र या वाणिज्य या सांख्यिकी या व्यावसायिक अध्ययन या लोक प्रशासन के साथ स्नातकोत्तर डिग्री। (ii) किसी भंडार में या केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बैंक या भारत के स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किसी निजी क्षेत्र के संगठन के समुत्थन में भंडार को संभालने और खाते रखने में एक वर्ष का अनुभव। **या** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र या वाणिज्य या सांख्यिकी या व्यावसायिक अध्ययन या लोक प्रशासन में स्नातक की डिग्री। (ii) सामग्री प्रबंधन या भांडागार प्रबंधन या क्रय या लॉजिस्टिक्स या सार्वजनिक उपापन में मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डिप्लोमा (iii) किसी भंडार में या केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बैंक या भारत के स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किसी निजी क्षेत्र के संगठन के समुत्थन में भंडार को संभालने और खाते रखने में दो वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, ऐसे कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, शिथिल की जा सकती हैं।		**टिप्पण:** सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविहित परिवीक्षा के सफलतापूर्वक पूरा किये जाने की कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया जाना अपेक्षित है।	है या आमेलन जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता/ अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, ऐसे कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।			

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा ।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(11)	**(12)**	**(13)**
प्रतिनियुक्ति (जिसमे अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार / राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रो अथवा कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संगठन के ऐसे अधिकारी:- (क) i)जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में स्तर 5 या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् 6 वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव हो। **टिप्पण 1:** आमेलन उपबंध के अधीन जो अधिकारी आएगा, उसे स्थायी रूप से उस पद या श्रेणी में आमेलित किया जा सकेगा। ऐसा आमेलन केवल केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधिकारियों की दशा में ही किया जा सकेगा। प्रतिनियुक्ति जिसमे अल्पकालिक संविदा भी है, के अधीन बाहर से कोई अधिकारी एक सीमित अवधि के लिए आ सकेगा, जिसके अंत में उसे अपने मूल काडर में प्रतिवर्तित होना होगा। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. निदेशक (रोजगार) या संयुक्त निदेशक (रोजगार)- (अध्यक्ष) - अध्यक्ष 2. उप या सहायक निदेशक (रोजगार), डीजीई के अधीन दिव्यंगों हेतु नैशनल कैरियर सर्विस सेंटर - सदस्य 3. पुनर्वास अधिकारी या मनोवैज्ञानिक, डीजीई के अधीन दिव्यंगों हेतु नैशनल कैरियर सर्विस सेंटर - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।		

[फा. सं. डीजीई-ए-12018/1/2020-ईईII]

अमित निर्मल, उप महानिदेशक (रोजगार)

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(Directorate General of Employment Notification)

New Delhi, the, 10th November, 2023

G.S.R. 175.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the:-

(i) Vocational Rehabilitation Centres (Group 'B' Gazetted Posts) Recruitment Rules 1996 in so far as they relate to the post of the Rehabilitation Officer;

(ii) Vocational Rehabilitation Centres (Group 'B' Non-Gazetted Posts) Recruitment Rules 1996 in so far as they relate to the post of the Rehabilitation Counselor; and

(iii) Vocational Rehabilitation Centres (Group 'C' and 'D' Posts) Recruitment Rules 1980 in so far as they relate to the post of the Assistant (Store),

except as respects for things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'B' posts of Rehabilitation Officer, Rehabilitation Counselor & Assistant (Store) in the offices of National Career Service Centres for Differently Abled (erstwhile Vocational Rehabilitation Centres) under the Directorate General of Employment, Ministry of Labour and Employment, namely: -

1. **Short title and commencement:-**

(i) These rules may be called the National Career Service Centre for Differently Abled (Group 'B' posts) Recruitment Rules, 2023.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application:-** These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of post, classification and Level in Pay Matrix:-** The number of the said posts, their classification and the Level in the Pay Matrix attached thereto, shall be a specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. :-** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification:-** No person, -

(i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to Relax:-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving:-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard

SCHEDULE

Name of post	**Number of post**	**Classification**	**Level in pay matrix**	**Whether selection post or non-selection post**	**Age-limit for direct recruits**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1. Rehabilitation Officer	18* (2023) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Non-Ministerial, Gazetted Group 'B'.	Level-7 (Rs.44,900-1,42,400) in the Pay Matrix	Selection Post	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with instructions or orders issued by Central Government) **Note**: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by Union Public Service Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Essential: (i) Post Graduate Degree in Social work or Sociology or Education or Psychology or Disability Studies from a recognised University. (ii) Three years' experience in work related to rehabilitation or placement or evaluation or training of differently abled persons. **<u>Note-1</u>**: Qualifications are relaxable at the discretion of Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **<u>Note-2</u>**: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the	No	2 Years	20% by Direct Recruitment. 80% by Promotion failing which Deputation including short term contract.

discretion of Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			

In case of recruitments by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	**If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission isto be consulted while making recruitment.**
(11)	**(12)**	**(13)**
Promotion: Career Assistant in the Level 5 (Rs 29,200-92,300) in the Pay Matrix with eleven years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in any National Career Service Centre for Differently Abled; and have successfully completed two weeks training in the relevant field of duties and responsibilities of the promotional posts of Rehabilitation Officer from National Institute for Career Services, NOIDA, Directorate General of Employment, Ministry of Labour and Employment or any other Institute recognised by Government of India. **<u>Note</u>:** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short-term contract)**: Officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or recognised Universities or Recognised Research Institutes or Public Sector Undertakings or Statutory or autonomous organizations: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level 6 (Rs. 35,400 - 1,12,400) in the	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of-: 1.Director (Employment) – **Chairman**. 2. Deputy Secretary (Administration) Ministry of Labour & Employment – **Member.** 3. Deputy Secretary (Directorate General of Employment) Ministry of Labour & Employment – **Member.** 4. Joint Director (Employment) – **Member.** Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of-: 1.Director (Employment) – **Chairman**. 2. Deputy Secretary (Administration) Ministry of Labour & Employment – **Member.** 3. Deputy Secretary (Directorate General of Employment) Ministry of Labour & Employment – **Member.**	Consultation with UPSC necessary while making direct Recruitment.

pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Possessing the educational qualification and experience as prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1**: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2**: The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.	4. Joint Director (Employment) **– Member.**	

Name of post	**Number of post**	**Classification**	**Level in pay matrix**	**Whether selection post or non-selection post**	**Age-limit for direct recruits**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
2. Rehabilitation Counselor	13* (2023) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Non Ministerial Non-Gazetted Group B	Level-6 (Rs.35,400-1,12,400) in the Pay Matrix.	Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government Servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note**: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Essential: (i) Masters Degree in Psychology or Special Education from a recognised University or Institute.	Not applicable	2 Years **Note** : There shall be a mandatory	100% Direct Recruitment **Note:-** Vacancies

(ii) Two years experience in any of the following:- 1. Social Work or Vocational Guidance, 2. Employment Service or Career Counselling or Employment Counselling, 3. Application of Psychological Technique, 4. Rehabilitation or Community Service, 5. Vocational Training. **Note-1**: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission /Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note-2**: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them		induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level 5 (Rs 29,200-92,300) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualification and experience as prescribed for direct recruits under column (7).

In case of recruitments bypromotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	**If Departmental Promotion Committee exists,what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted while making recruitment.**
(11)	**(12)**	**(13)**
Not Applicable	**Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of-:** 1. Director (Employment) or Joint Director (Employment) - Chairman. 2. Deputy or Assistant Director (Employment), National Career Service Centre for Differently Abled under DGE - Member. 3. Rehabilitation Officer or Psychologist,National Career Service Centre for Differently Abled under DGE - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

	4. A Gazetted officer belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe– Member.	

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Assistant (Store)	3* (2023) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Non Ministerial Non-Gazetted Group, B	Level-6 (Rs.35,400-1,12,400) in the Pay Matrix	Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government Servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note**: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i.) Masters Degree with Economics or Commerce or Statistics or Business Studies or Public Administration from a Recognised University or Institute. (ii.) One year experience in handling Stores and keeping Accounts in a store or a concern of Central Government or State Government or autonomous or statutory organization or Public Sector Undertakings or Recognised University or Banks or in a Private Sector Organisation listed on the Stock exchange(s) of India. **Or** (i.) Bachelors Degree in Economics or Commerce or Statistics or Business Studies or Public Administration as a subject from a Recognised University or Institute. (ii.) Diploma in Materials Management	Not applicable	2 Years Note: Direct Recruits would be required to successfully complete a mandatory induction training of at least two weeks duration as prescribed by the competent authority for completion of probation.	Deputation including Short Term Contract or Absorption Failing which by Direct Recruitment

or Warehousing Management or Purchasing or Logistics or Public Procurement from Recognised University or Institute; (iii.) Two years experience in handling Stores and keeping Accounts in a store or a concern of Central Government or State Government or Autonomous or Statutory Organization or Public Sector Undertakings or Recognised University or Banks or in a Private Sector Organization listed on the Stock exchange(s) of India. **Note-1**: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note-2**: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			

In case of recruitments by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	**If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted while making recruitment**
(11)	**(12)**	**(13)**
Deputation (including short-term contract): Officers under the Central/State Governments or Union Territories Autonomous or Statutory Organization or Public Sector Undertakings or Universities or Recognised Research Organization: (a) i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or ii) With 06 years service rendered after appointment to the post on a regular basis in Level 5 or equivalent in the parent cadre or department ; and (b) Possessing the educational qualification and experience as prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1**: Under the provision absorption, the officer who	Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of-: 1. Director (Employment) or Joint Director (Employment) - (Chairman) – Chairman. 2. Deputy or Assistant Director (Employment), National Career Service Centre for Differently Abled under DGE – Member. 3. Rehabilitation Officer or Psychologist, National	Consultation with Union Public Service Commi-ssion is not necessary.

will come, may be permanently absorbed in the post or grade. Such an absorption can be effected only in the case of officers from the Central Government or State Government. Under deputation including short-term contract, an officer from outside can come for a limited period, by the end of which will have to revert to his parent cadre. **Note 2**: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The Maximum age limit for appointment by deputation shall be Not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications.	Career Service Centre for Differently Abled under DGE – Member.	

[F. No. DGE-A-12018/1/2020-EE-II]

AMIT NIRMAL, Dy. Director General (Employment)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.11.29 19:54:16 +05'30'